न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 65/2024/अपील/एलआरएक्ट/कोटा

दायरा दिनांकः 04.04.2024

अन्तर्गत धाराः 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. अनिता पालीवाल आयु 50 वर्ष पुत्री स्व.० श्री आदित्य नारायण जोशी पत्नि श्री योगेश पालीवाल निवासी म० न० 5ए 5 महावीर नगर थर्ड कोटा
2. संगीता शर्मा पुत्री स्व० आदित्य नारायण जोशी पत्नि श्री सतीश शर्मा निवासीनी एस० 18 गीजगढ़ बिहार 22 गोदाम न्यू सांगानेर रोड़ श्याम नगर, जयपुर राज०

.....अपीलान्ट

बनाम

1. राजेश जोशी
2. मनीष जोशी

   पिसरान स्वर्गीय आदित्य नारायण जोशी, निवासीगण म० न० 4 एफ 7 विज्ञान नगर कोटा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा कोटा

.....रेस्पोडेण्टस

उपस्थित : श्री दयाराम सैन–अभिभाषक अपीलांट्स
रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2 स्वयं उपस्थित

::निर्णय::

दिनांक 26.03.2025

अपीलार्थीगण ने न्यायालय तहसीलदार लाड़पुरा जिला कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 15/2023 उनवान राजेश जोशी, मनीष जोशी पुत्र स्व0 आदित्य प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 135(2) भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 06.10.2023 के विरूद्ध अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 क्र0 1 एवं 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम देवलीमच्छियान के खाता सं0 8 के खसरा सं0 588/1.25,687/1.77 किता 2 रकबा 3.02 है0 अनरजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 06.08.2019 के आधार पर नामांतरकरण दर्ज करने का अनुरोध किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में वसीयत के गवाहान द्वारा वसीयत

के पक्ष मे बयान दिये जाने व वसीयतकर्ता की आराजी स्वअर्जित श्रेणी की होने तथा वसीयतकर्ता की पुत्रियों द्वारा वसीयत को असत्य/मिथ्या साबित करने बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से वसीयत का सही/सत्य होना प्रमाणित मानते हुए रेस्पो0 1 व 2 का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अनरजि0वसीयत दिनांक 06.08.2019 के आधार पर ग्राम देवलीमच्छियान के खाता सं0 8 के खसरा सं0 588/1.25 एवं 687/1.77 है0 में से 0.26 है0 (उत्तरी पूर्व) किता 2/1.51 है0 वसीयतग्रहिता राजेश जोशी पुत्र स्व0 आदित्यनारायण जोशी व खसरा सं0 687/1.77 में से शेष रकबा 1.51 है0 मनीष जोशी पुत्र स्व0 आदित्यनारायण जोशी, जाति ब्राह्मण के खाते दर्ज किये जाने का आदेश दिनांक 06.10.2023 पारित किया गया।

2. अपीलांट द्वारा उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील इस न्यायालय में पेश कर कथन किया कि आदेश जेर अपील कानून न्याय एवम तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो० द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत खोले जाने नामान्तरकरण स्वीकार कर रेस्पो० के नाम नामान्तरकरण खोले जाने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन रजिस्टर्ड वसीयत को गलत रूप से स्वीकार कर आदेश जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की हैं। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा तथाकथित वसीयत जो रेस्पो० द्वारा पेश की गई है, उसके संबंध में स्पष्ट कथन किया हैं कि अपीलान्ट के माता–पिता द्वारा कोई वसीयत अपीलान्ट के पक्ष में आलेखित नहीं की गई है तथा उक्त वसीयत पर फर्जी हस्ताक्षर है, उक्त वसीयत मात्र पब्लिक नोटरी से तस्दीक बताई गई है लेकिन उक्त संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने पब्लिक नोटरी का रिकॉर्ड तलब नहीं किया गया ना ही उनके बयान लिये गये है तथा वसीयत एवं प्रार्थी के माता–पिता के बैंक खाते में भिन्न हस्ताक्षर है इस संबंध में बैंक से भी कोई रिकार्ड तलब नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को तथाकथित वसीयती गवाहान के बयान कलम बन्द करके तथा उनसे अपीलान्ट को जिरह करने का अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश जेर अपील प्रदान किया गया है इस प्रकार आदेश जेर अपील काबिल निरस्तनीय है। अपीलान्ट के पिता पढे लिखे व्यक्ति थे उनके बैंक में भी खाते थे तथा अन्य जगह भी उनके हस्ताक्षर संबंधित दस्तावेज व कार्यालय में मौजूद है अतः रेस्पो० को उक्त वसीयत पर वसीयती के हस्ताक्षर असल हैं इसको प्रमाणित करने के लिये उक्त संबंधित बैंक तथा कार्यालय में जहां भी उनके हस्ताक्षर हैं की फोटो कॉपी रेस्पो० से तलब करना चाहिये था लेकिन ऐसा नहीं करके आदेश जेर अपील प्रदान करने मे अधिनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अपीलान्ट जो कि वसीयती की सगी पुत्रियां है, जिनका उक्त आराजी 1/4, 1/4 हक व हिस्सा निहित हैं। अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर निर्णय जेर अपील निरस्त किया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा तथाकथित वसीयत जो रेस्पो० द्वारा पेश की गई है, उसके संबंध में स्पष्ट कथन किया हैं कि अपीलान्ट के माता–पिता द्वारा कोई वसीयत अपीलान्ट के पक्ष में आलेखित नहीं की गई है तथा उक्त वसीयत पर फर्जी हस्ताक्षर है, उक्त वसीयत मात्र पब्लिक नोटरी से तस्दीक बताई गई है लेकिन उक्त संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने पब्लिक नोटरी का रिकॉर्ड तलब नहीं किया गया ना ही उनके बयान लिये गये है तथा वसीयत एवं प्रार्थी के माता–पिता के बैंक खाते में भिन्न हस्ताक्षर है इस संबंध में बैंक से भी कोई रिकार्ड तलब नहीं किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की आपत्ति को नजरअंदाज कर निर्णय दिनांक 06.10.2023 पारित किया गया है। अपीलान्ट जो कि वसीयती की सगी पुत्रियां है, जिनका उक्त आराजी 1/4, 1/4 हक व हिस्सा निहित हैं। अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर निर्णय जेर अपील निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RBJ (31) 2024 Page No. 92 पेश किये।

5. रेस्पो0 के द्वारा स्वयं उपस्थित होकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय उचित होना प्रकट किया।

6. हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस विद्धान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि रेस्पो0 क्र0 1 एवं 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम देवलीमच्छियान के खाता सं0 8 के खसरा सं0 588/1.25,687/1.77 किता 2 रकबा 3.02 है0 अनरजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 06.08.2019 के आधार पर नामांतरकरण दर्ज करने का अनुरोध किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में वसीयत के गवाहान द्वारा वसीयत के पक्ष मे बयान दिये जाने व वसीयतकर्ता की आराजी स्वअर्जित श्रेणी की होने तथा वसीयतकर्ता की पुत्रियों द्वारा वसीयत को असत्य/मिथ्या साबित करने बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से वसीयत का सही/सत्य होना प्रमाणित मानते हुए रेस्पो0 1 व 2 का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अनरजि0वसीयत दिनांक 06.08.2019 के आधार पर ग्राम देवलीमच्छियान के खाता सं0 8 के खसरा सं0 588/1.25 एवं 687/1.77 है0 में से 0.26 है0 (उत्तरी पूर्व) किता 2/1.51 है0 वसीयतग्रहिता राजेश जोशी पुत्र स्व0 आदित्यनारायण जोशी व खसरा सं0 687/1.77 में से शेष रकबा 1.51 है0 मनीष जोशी पुत्र स्व0 आदित्यनारायण जोशी, जाति ब्राह्मण के खाते दर्ज किये जाने का आदेश दिनांक 06.10.2023 पारित किया गया। प्रकरण में अपीलांट का तर्क रहा है कि अपीलान्ट के माता–पिता द्वारा कोई वसीयत अपीलान्ट के पक्ष में आलेखित नहीं की गई है तथा उक्त वसीयत पर फर्जी हस्ताक्षर है, उक्त वसीयत मात्र पब्लिक नोटरी से तस्दीक बताई गई है लेकिन उक्त संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने पब्लिक नोटरी का रिकॉर्ड तलब नहीं किया गया ना ही उनके बयान लिये गये है तथा वसीयत एवं प्रार्थी के माता–पिता के बैंक खाते में भिन्न हस्ताक्षर है इस संबंध में बैंक से भी कोई रिकार्ड तलब नहीं किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की आपत्ति को नजरअंदाज कर निर्णय दिनांक 06.10.2023 पारित किया गया है।

26/3/2025

7. प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया। अपने पक्ष के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी पूर्ण अवसर दिया गया, लेकिन अपीलांट द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना प्रकट होता है। बैंक से हस्ताक्षर नमूने का मिलान भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाना प्रकट होता है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्ण सुनवाई साक्ष्य के पश्चात् किया जाना प्रकट होने से निर्णय में कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.10.2023 न्यायोचित होने से अपील प्रकरण में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

8. निर्णय आज दिनांक 26.03.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

26/3/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा